

FORM No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर, उच्चैन (भरतपुर)

श्यामसुन्दर बनाम केदारनाथ वगै०

किस्म मुकदमा दावा धारा 53,188 आर.टी.ए. नं०.....सन् 2025

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21.05.2025	<p>वादी/वादीगण ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 के तहत पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। कैवियेटदार को सूचना हेतु रजि० नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 02.06.2025 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)</p>	<p>21/6/25 पत्रावली पेश हुई। उक्त वादी व उनके वादी अधिवक्ता। कई बार कल-कल कर आवाज लगावाई गई लेकिन कोई उपाय नहीं आया। उक्त पत्रावली वादी की दृष्टि से हाथी की दृष्टि से पेश की जा रही है। पत्रावली के आधार पर किता पारा है। पत्रावली केसक अनुसार ही नम्बर से काग होकर हाथीक इफरल हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)</p>